

न्यायालय :- वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला भिण्ड, (म.प्र.)

(आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 381/2015)
(संस्थित दिनांक :- 18/06/15)

म.प्र.राज्य की ओर से
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,
जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

श्यामवीर सिंह पुत्र जयवीर सिंह यादव, उम्र 40 वर्ष,
निवासी नगला मुरली, पोस्ट स्लमपुर, तहसील जसराना,
थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद (उ.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य की ओर से श्री प्रवीण सिकरवार ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री के.पी.राठौर।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 30/06/18 को घोषित)

1. अभियुक्त श्यामवीर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 09.04.15 को 20.45 बजे भिण्ड ग्वालियर हाइवे पर खनेता मोड़ के पास ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी.2125 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर अजीत सिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की।
2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को सूचनाकर्ता बेताल सिंह जब भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड़ स्थित दुकान पर सामान लेने गया था तब ग्वालियर की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी.2125 के चालक ने अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक मोटरसाइकिल में

टक्कर मार दी थी। ट्रक का पहिया मोटरसाइकिल चालक के धड़ पर चढ़ गया था, जिससे उसे गम्भीर चोटें आई थीं। उक्त व्यक्ति को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की सूचना थाना गोहद चौराहा को दिए जाने पर देहाती नालिसी लेख की गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 63/15 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। मृतक का शव परीक्षण कराया गया।

3. तत्पश्चात प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार किया गया। घटना में उपयोग किये गये वाहन को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया एवं वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई। वाहन के स्वामी को धारा 133 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। साक्षी बेताल सिंह, मुकेश, राजवीर, ओमवीर, जोगेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त ने इस निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार करते हुये अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय बिंदु है :-

क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक को भिण्ड ग्वालियर हाइवे पर खनेता मोड़ के पास ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी.2125 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर अजीत सिंह की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की ?

सकारण निष्कर्ष

6. साक्षी बेताल (अ.सा.2) का कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसके समक्ष कोई एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी ने प्र.पी.2 की देहाती नालिसी और नक्शामौका प्र.पी.3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 09.04.2015 को शाम के करीब 08:45 बजे जब वह दुकान पर सामान लेने गया था तब ट्रक क्रमांक यू.पी.

83टी.2125 के चालक ने अपने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर एक मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि ट्रक का पहिया मोटरसाईकिल वाले के धड़ पर चढ़ गया था और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जे जाते समय मोटरसाईकिल चालक की मृत्यु हो गई थी।

7. साक्षी किशनलाल (अ.सा.5) का कहना है कि उसने दिनांक 09.04.2015 को थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए सूचनाकर्ता बेताल सिंह के बताये अनुसार वाहन क्रमांक यू.पी.83टी.2125 के चालक के विरुद्ध देहाती नालसी प्र.पी.2 लेख की थी।

8. साक्षी डॉ. जी.आर. शाक्य (अ.सा.1) का कहना है कि उसने दिनांक 11.04.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतक अजीत सिंह का शव परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट से कोमा में जाना पाया था। साक्षी के द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.1 है।

9. इस प्रकार साक्षी जी.आर. शाक्य के कथन व प्र.पी. 1 की रिपोर्ट से अजीत की मृत्यु हो जाने का तथ्य प्रमाणित होता है, अब न्यायालय को इस संबंध में विचार करना है कि क्या उक्त घटना अभियुक्त के उतावलेपन या उपेक्षा में किये गये कृत्य के परिणामस्वरूप कारित हुई थी ?

10. साक्षी मुकेश (अ.सा.3) का भी यह कहना है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और पुलिस ने उससे कोई पूछताछ भी नहीं की थी। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी.2125 के चालक ने अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी जिससे मोटरसाईकिल चालक की मृत्यु हो गई थी।

11. साक्षी जोगेन्दर (अ.सा.6) का कहना है कि दिनांक 11.04.2015 को मुकेश सिंह ने फोन पर यह बताया था कि अजीत सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना मिलने के बाद वह थाने गया था जहां पर उसे अपने भाई अजीत का शव रखा हुआ मिला था। साक्षी ने प्र.पी.7 की सूचना, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.8, लाश पंचनामा प्र.पी.9, शव प्राप्ति रसीद प्र.पी.10 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

साक्षी का यह भी कहना है कि उसे मुकेशसिंह ने बताया था कि ट्रक क्रमांक यू.पी. 83टी.2125 के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाकर अजीत सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। इस प्रकार साक्षी को घटना के संबंध में स्वयं कोई जानकारी नहीं है अपितु उसका साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति का है, जिस कारण से विश्वास किए जाने योग्य नहीं है।

12. साक्षी ओमवीर (अ.सा.7) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही पुलिस ने उसके कोई कथन लिये थे। साक्षी ने अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वाहन क्रमांक यू.पी.83टी.2125 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.30बी.4310 में टक्कर मार दी थी।

13. साक्षी राजवीर सिंह (अ.सा.8) का भी यह कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को जब वह मोटरसाईकिल से गोहद चौराहा जा रहा था तब छीमका रोड़ पर ग्वालियर की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी. 2125 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी।

14. साक्षी रामकरन शर्मा (अ.सा.4) का कहना है कि उसने दिनांक 15.04. 2015 को थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 63/15 में जप्तशुदा वाहन यू.पी.83 टी.2125 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर वाहन चालू हालत में पाया था और क्लीनर साईड का इंडीकेटर खराब पाया था। साक्षी के अनुसार आगे के क्लीनर साईड के बम्पर के उपर खरोंचे थी, इसके अतिरिक्त वाहन के सभी सिस्टम सही काम कर रहे थे। साक्षी के द्वारा तैयार की गई मैकेनिकल रिपोर्ट प्र.पी.6 है।

15. साक्षी किशनलाल (अ.सा.5) ने विवेचना के दौरान दिनांक 10.04.2015 को बेताल सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.3 बनाया था और दिनांक 11.04.2015 को सफीना फॉर्म प्र.पी.7, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.8 तैयार किया था। साक्षी के द्वारा लाश शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.9 बनाया गया था और जोगेन्द्र को मृतक अजीत का शव देकर शव प्राप्ति रसीद प्र.पी.10 प्राप्त की गई थी।

16. साक्षी किशनलाल का यह भी कहना है कि उसने मुकेश, राजवीर,

ओमवीर, जोगेन्दर के बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक क्रमांक यू.पी.83टी.2125 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.11 तैयार किया था। साक्षी ने दिनांक 14.04.2015 को वाहन स्वामी का प्रमाणीकरण प्र.पी.13 भी लिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने दुर्घटना कारित करने वाले चालक का नाम, पता व हुलिया नहीं बताया था।

17. इस प्रकार प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बेताल, मुकेश, ओमवीर, राजवीर, ने अभियोजन पक्ष का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी जोगेन्द्र घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और उसकी साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति की है। जहां तक प्रश्न विवेचक किशनलाल की साक्ष्य का है तो उसके संबंध में यह अवलोकनीय है कि साक्षी स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और उसने समस्त कार्यवाही सूचनाकर्ता बेताल एवं अन्य साक्षीगण के कथनों के आधार पर की है, परंतु उक्त साक्षीगण ने ही घटना के संबंध में न्यायालय में विश्वसनीय कथन नहीं दिए हैं। इस प्रकार उक्त परिस्थिति में केवल विवेचक की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

18. उपरोक्त विवेचना के आधार पर जहां कि अभियोजन साक्षीगण ने न्यायालय में विश्वसनीय एवं स्थिर कथन नहीं किए हैं एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान भी स्थापित नहीं है वहां अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने वाहन क्रमांक यू.पी.83टी.2125 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर अजीत की मृत्यु कारित की।

19. फलतः अभियुक्त श्यामवीर को धारा 304ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध में काटी गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण-पत्र पृथक से तैयार कर संलग्न किया जाये।

22. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मूलस्वामी को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया गया है। अतः अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दगीनामा वाहन मालिक के पक्ष में भारमुक्त समझा जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद